

पेश होवे।  
सीर

13.05.24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पत्रावली में उपस्थित। वकील वादी पत्रावली में आज कोई कार्यवाही नहीं चाहते एवं न्यायालय द्वारा पत्रावली में कुछ त्रुटि गई कार्यवाही से संतुष्ट हैं। वकील वादी द्वारा पत्रावली नोट-प्रेस करने का निवेदन किया। वकील वादी द्वारा नोट-प्रेस किये जाने के आधार पर वाद खारिज किया जाता है पत्रावली फ़ैसल नुमाय होकर फ़ैसल दाखिल हो।

Note  
press  
दिनांक

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा